



Neutral Citation No. - 2026:AHC:21736

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 2442 वर्ष 2026

सूरज दिवाकर

...आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: शारिक अहमद

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 46

माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. की दलीलें सुनी गईं।

यह दूसरी जमानत याचिका है। आवेदक की पहली जमानत याचिका को इस न्यायालय ने दिनांक

7.5.2025 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया था।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि दो अभियोजन गवाहों की जांच विचारण न्यायालय के समक्ष की जा चुकी है। गवाह (पीडब्ल्यू) संख्या 2 ने बताया है कि उसके मृतक पुत्र ने उसे सूचित किया था कि आवेदक और अन्य सह-आरोपी अंकुल सानी और ललित निषाद ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। इस धमकी के फलस्वरूप मृतक के पुत्र की हत्या कर दी गई। गवाह संख्या 2 का बयान जांच अधिकारी द्वारा धारा 161 सीआरपीसी के तहत दर्ज किया गया था, जिसमें उसने इस संबंध में कुछ भी नहीं कहा है। विचारण न्यायालय के समक्ष गवाह संख्या 2 के बयान में सुधार हुआ है। आवेदक 11.12.2023 से जेल में है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

दूसरी ओर, विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की अर्जी का विरोध किया है।

अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता, उपर्युक्त पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों को ध्यान में रखते हुए, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दी गई दलीलों में बल पाते हुए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक अधिकार क्षेत्र, सर्वोच्च न्यायालय के हालिया फैसले दिनांक 11.07.2022 को **मनीष सिसोदिया बनाम प्रवर्तन निदेशालय, 2024 लॉ सूट (एससी) 677** के मामले में, और विचाराधीन कैदियों द्वारा जेलों में उनकी क्षमता से 5-6 गुना अधिक भीड़भाड़ को ध्यान में रखते हुए, और मामले की गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, न्यायालय का मत है कि आवेदक ने जमानत के लिए मामला सिद्ध किया है। जमानत याचिका स्वीकार की जाती है।

आवेदक सूरज दिवाकर, जो मुकदमा अपराध संख्या 217/2023, धारा 302 आईपीसी के तहत, पुलिस स्टेशन नवाबगंज, जिला कानपुर नगर में आरोपी है, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अनुरूप व्यक्तिगत मुचलका और इतनी ही राशि के दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिहाई आदेश जारी करने से पहले जमानतियों का सत्यापन किया जाए।

- (i) आवेदक साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और न ही गवाहों को धमकाएगा।
- (ii) आवेदक इस आशय का वचन पत्र दाखिल करेगा कि वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध नहीं करेगा, जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों। इस शर्त का उल्लंघन करने पर, अवर न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर कानून के अनुसार आदेश पारित कर सकती है।
- (iii) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर अवर न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से या न्यायालय के निर्देशानुसार उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, अवर न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 229-ए के तहत कार्यवाही कर सकती है।
- (iv) यदि आवेदक मुकदमे के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है। यदि उद्घोषणा जारी की जाती है और आवेदक उसमें निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो अवर न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 174-ए के तहत कानून के अनुसार कार्यवाही शुरू करेगी।
- (v) आवेदक को मुकदमे की सुनवाई शुरू होने, आरोप तय होने और धारा 313 सीआरपीसी के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं उपस्थित रहना होगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्यवाही कर सकता है।

उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

विचारण न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि वह आवेदक के खिलाफ मुकदमे की कार्यवाही यथाशीघ्र समाप्त करे, धारा 309 सीआर. (नई धारा 346 बी.एन.एस.एस.) के अनुसार।

30 जनवरी 2026

अतुल कुमार श्री.

(न्यायमूर्ति सिद्धार्थ)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।